कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, हनुमानगढ

कमांकः–लेखा/देव/गोगामेडी/2022/2837 दिनांकः– 24.11.22

गोगामेडी मेला क्षेत्र में निलामी से मेला वर्ष 2023 प्रारंम्भ होने से एक सप्ताह पूर्व तक अस्थाई दुकाने लगाने हेतु रिक्त भूमि की ऑन–लाईन (ई–बोली) सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर श्री गोगाजी गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ में गोगामेडी मेला क्षेत्र में निलामी से मेला वर्ष 2023 के प्रारम्भ से एक सप्ताह पूर्व तक ऑन लाईन बोली दिनांक 09.09.2022, 19.09.2022 एवं 17.10.2022 की निलामी में से शेष रही अस्थाई दुकाने/भूखण्ड हेतु रिक्त भूमि को किराये पर देने हेतु **संशोधित आरक्षित मूल्य एवं अमानत राशि** पर ऑन–लाईन ई–बोली www.zilahanumangarh.in पर लॉग–इन कर पंजीयन शुल्क 200/– ऑन–लाईन खाते में जमा करवाने के पश्चात् पंजीयन आवेदन पत्र, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की फोटो प्रति एवं निर्धारित अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जिला परिषद के पीछे हनुमानगढ़ में जमा करवाकर ई–बोली लगा सकता है।

अवधि बोली खुलने से मेला वर्ष 2023 प्रारंम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व तक रहेगी। ऑन–लाईन बोली से सबंधित अन्य विस्तृत विवरण, शर्तें, प्रक्रिया आदि किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त विभागीय वेबसाईट **www.devsthan.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in, www.zilahanumangarh.in** पर देखी जा सकती है।

क्र. स.	विवरण		दिनांक
1.	पंजीयन प्रारम्भ की दिनांक		25.11.2022
2.	पंजीयन करने की अन्तिम दिनांक		04.12.2022
3.	पंजीयन आवेदन पत्र एवं अमानत राशि जमा करवाने की अन्तिम दिनांक		05.12.2022 सांय 06.00 बजे तक
4.	ऑन–लाईन बोली प्रारम्भ की दिनांक		06.12.2022
5.	ऑन–लाईन बोली लगाने की अन्तिम दिनांक	कुल 93 अस्थाई दुकाने/भुखण्ड (अस्थाई दुकानों/भुखण्डों की सूची कार्यालय समय में कार्यालय देवस्थान विभाग हनुमानगढ़ एवं जिला हनुमानगढ़ पोर्टल पर देखी जा सकती है)	13.12.2022 दोपहर 04.00 बजे तक

इस कार्यालय द्वारा जारी ऑन लाईन निलामी सूचना लेखा/देव/गोगामेड़ी/2022/2119 दिनांक 30.08.2022, 2240 दिनांक 11.09.2022 एवं 2464 दिनांक 30.09.2022 में अंकित शर्ते अक्षरशः यथावत रहेंगी।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
हनुमानगढ

कमांकः–लेखा/देव/गोगामेडी/2022/2838–58 दिनांकः– 24.11.22

प्रतिलिपि– अग्रलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त ऑन–लाईन निलामी सूचना विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने का श्रम करावें, व साथ ही श्रीमान् के पत्र क्रमांक एफ15(02)/लेखा/निधि/देव/2464 दिनांक 18.11.2022 के क्रम में निवेदन है कि उक्त निलामी हेतु विभागीय प्रतिनिधि नियुक्त करवाने का श्रम करावें।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त ई–बोली हेतु अपका प्रतिनिधि नियुक्त करनें एवं उपनिदेशक सूचना एवं प्रोद्योगीकी विभाग, हनुमानगढ को उक्त अस्थाई भुखण्डों की ऑनलाईन ई–बोली की सम्पूर्ण प्रक्रिया संचालन बाबत आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करावें।
3. श्रीमान वरिष्ठ लेखाधिकारी, देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
4. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नोहर ।

5. श्रीमान् उपनिदेशक सूचना एवं प्रोद्योगीकी विभाग, हनुमानगढ़ को उक्त ऑन लाईन बोली की विज्ञप्ति, बाजार वाईज अस्थाई भुखण्डों/दुकानों, अमानत राशि एवं आरक्षित मूल्य का विवरण वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु।
6. श्रीमान् सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, हनुमानगढ़ को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।
7. श्रीमान् सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर प्रथम/जयपुर द्वितीय/उदयपुर/ऋषभदेव /अजमेर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा/भरतपुर/वृंदावन को सूचनार्थ।
8. तहसीलदार (राजस्व) नोहर/भादरा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
9. सरपंच, ग्राम पंचायत गोगामेडी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
10. निरीक्षक, देवस्थान विभाग गोगामेडी।
11. प्रबन्धक मंदिर श्री गोगाजी गोगामेडी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाकर चस्पादगी रिपोर्ट प्रेषित करें।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग,
हनुमानगढ

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर

क्रमांकः– एफ.15(1)/लेखा/निधि/देव/2022/ 1757 दिनांकः– 13-07-2022

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पूर्व समसंख्यक आदेश क्रमांक 339 दिनांक 19.04.2022 को अधिक्रमित (अतिक्रमण) करते हुये सहायक आयुक्त कार्यालयों द्वारा कृषि भूमि काश्त हेतु लीज पर दिये जाने एवं मेले में निलामी इत्यादि कार्य हेतु मुख्यालय से प्रतिनिधि भिजवाये जाने बाबत निवेदन किया जाता है। इस हेतु सहायक आयुक्त कार्यालय तथा आयुक्त कार्यालय में होने वाले पत्राचार के साथ विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना रहती है।

अतः कार्य के सुचारु एवं पारदर्शिता बनाये रखने हेतु निम्नानुसार आयुक्त के प्रतिनिधि रूप में निम्नानुसार विभागीय प्रतिनिधि नियुक्त किये जाते है।

क्र सं.	सहायक आयुक्त कार्यालय	मनोनित विभागीय प्रतिनिधि
1.	भरतपुर	स.आ. वृन्दावन
2.	जयपुर–II	स.आ. जयपुर–I
3.	जोधपुर	स.आ. उदयपुर
4.	हनुमानगढ	स.आ. बीकानेर
5.	अजमेर	स.आ. जोधपुर
6.	जयपुर–I	स.आ. जयपुर–II
7.	कोटा	स.आ. भरतपुर
8.	उदयपुर	स.आ. अजमेर
9.	बीकानेर	स.आ. हनुमानगढ
10.	वृन्दावन	स.आ. भरतपुर
11.	ऋषभदेव	स.आ. मुख्यालय

1. संबंधित सहायक आयुक्त द्वारा नामित विभागीय प्रतिनिधि से पूर्व वार्ता कर ही निलामी दिनांक तय करेंगे ताकि कार्य में विलम्ब ना हो।
2. उक्त मनोनीत प्रतिनिधि निलामी/बीड करते समय यह सुनिश्चित करेंगें कि:–
   - iv) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियमों की पालना सुनिश्चित करेगें।
   - v) विभागीय किराया नीति, धर्मशाला नीति की पूर्ण पालना करना सुनिश्चित करेगें।
   - vi) विभागीय निधि नियमों की पालना करना सुनिश्चित करेगें।
3. मनोनीत प्रतिनिधि कार्य समाप्ति पश्चात रिपोर्ट इस कार्यालय को दो दिवस में प्रस्तुत करेगें।

(हस्ताक्षर)

(करण सिंह) I.A.S.
आयुक्त,
देवस्थान विभाग,
राजस्थान–उदयपुर।

क्रमांकः– एफ.15(1)/लेखा/निधि/देव/2022/ 1758–63 दिनांकः– 13-07-2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, देवस्थान विभाग जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त, वरिष्ठ लेखाधिकारी, उपायुक्त, सम विधि परामर्शी मुख्यालय
3. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, ...।

(हस्ताक्षर)

आयुक्त
देवस्थान–विभाग
राजस्थान–उदयपुर

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner